न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 160/2016

1. मीरा देवी पत्नी भोमा राम
2. सदू राम
3. गिरधारी
4. मोहन लाल

पि. भोमाराम — जाति मेघवाला निवासी करडू तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

——अपीलांट्स

बनाम

1. दान सिंह
2. दर्शन सिंह
3. नक्षत्र सिंह

पि. लाल सिंह

4. हरपाल कौर पत्नी मोदन सिंह
5. जोगेन्द्र सिंह पुत्र मोदन सिंह

जाति जटसिख निवासीगण 10 क्यू तह. व जिला श्रीगंगानगर

6. सोहन पुत्र मनीराम, जाति स्वामी, निवासी करडू तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. मैना देवी पत्नी सोहन लाल, जाति स्वामी, निवासी करडू तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
8. लूणी देवी पत्नी भोमा राम, जाति मेघवाल निवासी करडू तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
9. नोरा देवी पुत्री भोमा राम, जाति मेघवाल, निवासी करडू तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
10. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़।

20/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा. का. अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

दिनांक 08.04.2015

उपस्थितिः—

श्री सोमप्रकाश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट

श्री भगवानदास शर्मा, अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 ता 5

श्री सुरेन्द्र सुथार, अभिभाषक रेस्पां. सं. 6 व 7

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :—20/9/17

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पों. सं. 1 ता 5 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष रा. का. अ. की धारा 88, 209 का पेश कर कथन किया कि रणजीत के नाम से रोही करडू के खसरा नं. 116 में 24.06 बीघा, खसरा नं. 118 में 25 बीघा कुल 49.06 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । रणजीत द्वारा अपनी भूमि में से 1/4 हिस्सा दर्शन सिंह, 1/4 हिस्सा दान सिंह, 1/4 हिस्सा नक्षत्र सिंह व 1/4 हिस्सा मोदन सिंह को दिनांक 22.04.1978 को प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय कर कब्जा सौंप दिया। भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा निर्णय दिनांक 27.08.1978 के उक्त भूमि रणजीत के नाम से वादीगण के नाम से नया खसरा नं. 116 व 18 पैमूद होने पर रणजीत के नाम खारिज करते हुए वादीगण के

20/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

नाम बतौर अंकित करने के आदेश दिए गए । वादीगण के नाम से अंकित खरीदशुदा भूमि खसरा नं. 116 व 118 के नये खसरा नं. पैमूद होने पर खसरा नं. 276, 309, 312 व 759/309 में पैमूद की गई । वादीगण का खरीदशुदा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि में खसरा नं. 312 की 3.693 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से खातेदारी अंकित है जबकि वे इसके खातेदार अंकित होने के पात्र नहीं है । वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को कई बार इस बारे में कहा लेकिन वह इनकार हो गया । यही वाद कारण पैदा हुआ । अतः निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार करते हुए वाद पत्र के अनुतोष की मद सं. क से ग अनुसार वाद डिक्री किया जावे ।

प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादी द्वारा दावा आधारहीन पेश किया गया है । खसरा नं. 312 की 3.693 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त में है । प्रतिवादी सं. 1 अनुसूचित जाति का सदस्य है। जिस पर वादी को खातेदारी नहीं दी जा सकती । अतः वाद खारिज किया जावे ।

दावा एवं जवाबदावा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने चार वाद बिन्दु कायम किए गए । सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक 08.04.2015 को वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया । जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

20/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि दौराने दावा भोमा राम का देहान्त हो गया था । उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया था ऐसी स्थिति में दावा चलने योग्य नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पों. सं. 1 ता 5 से मिलीभगत कर बिना वारिसों को सुने दावा डिक्री कर दिया । उक्त वाद के निर्णय में रा. का. अ. की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन किया है । भोमा राम की भूमि जरिए विरासतन इंतकाल अपीलांट व रेस्पों. सं. 8 व 9 के नाम दर्ज हो चुकी है । अधीनस्थ न्यायालय को भूमि कम करने का कोई अधिकार नहीं है । वकील अपीलांट ने डीएनजे 2013 पेज 287 का न्याय दृष्टांत पेश करते हुए कथन किया कि मृतक व्यक्ति के विरूद्ध आदेश शुन्य आदेश की परिभाषा में आता है । इसी प्रकार आरआरडी 1993 पेज 634 का न्याय दृष्टांत पेश किया । अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने बिना पक्षकार बनाये पारित किया है । अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पेश किया है जो स्वीकार करते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे । अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश करदी। जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है । अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे ।

20/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 ता 7 के अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया । जिसका जवाबदावा पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई । वादीगण द्वारा अपने वाद को पूर्ण रूप से साक्ष्य से साबित किया है । क्योंकि रणजीत द्वारा अपनी भूमि का बेचान जरिए बैयनामा विक्रय कर दिया था । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद डिक्री करने में कोई भूल नहीं की है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2013 (2) पेज 342 का न्याय दृष्टांत पेश किया ।

उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किए हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा नहीं किया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 08.04.2015 के विरूद्ध दिनांक 14.07.2016 को पेश की है। जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किए हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय

20/4/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

उभय पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली के अवलोकन से लगा कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय किसी कानून पर आधारित न होकर Whims पर होना प्रतीत हुआ, जैसा कि Jurisprodence का Basic सिद्धान्त Legislature द्वारा पारित कानून ही न्यायिक निर्णयों का आधार होता है जो सिद्धान्त अवधारणा, नियम कानून विधायिका द्वारा बनाये जाते हैं वे ही निष्कर्षों के लिए guiding Principles होते हैं। राजस्थान की विधायिका ने अनुसूचित जाति, जनजाति के हितों की रक्षा के लिए रा. का. अ. 1955 में धारा 42 जोड़ी जाकर अनुसूचित जाति व जनजातियों की कृषि भूमियां गैर अनुसूचित जाति व गैर अनुसूचित जनजाति के नाम हस्तान्तरण को पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित किया है, जो परीक्षणों यहां तक विनिश्चित हुआ है कि किसी भी Compromise decree या contest decree के जरिए भी अनुसूचित जाति व जनजाति की कृषि भूमियां गैर अनुसूचित जाति व गैर अनुसूचित जनजाति के नाम नहीं की जा सकती । जो प्रकरण हाजा में अपीलांट (अनु. जाति के सदस्य) होकर दावा में वादी एवं अपील में रेस्पो. गैर अनुसूचित जाति के पक्ष में दावा डिक्री कर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कृषि भूमि हटाकर वादीगण के नाम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करना न केवल कानूनी भूल की है अपितु जिन मानसिकता से विधायिका द्वारा रा. का. अ. 1955 की धारा 42 का Inclusion किया था

20/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उसका उल्लंघन है । अतः कानूनी बिन्दु पर ही अपील स्वीकार योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर तनकीयात विनिश्चय में भी भारी भूल की है । जिस बेचान दस्तावेज के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा डिक्री किया है उनमें बेचानकर्ताओं का परीक्षण ही नहीं हुआ, जो सीपीसी की धारा Non joinder of necessary party मानकर अधीनस्थ न्यायालय को दावा खारिज करना चाहिए था जो नहीं किया।

अधीनस्थ न्यायालय में संगृहित साक्ष्य की व्याख्या में भी भारी भूल की है । जिस दस्तावेजी साक्ष्य मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नं. 118 जो 25 बीघा का था जिसके नये खसरा नं. 276 का रकबा 10.05 बीघा व खसरा नं. 309 के नये खसरा नं. 18 का 16 बीघा होकर कुल रकबा 26 बीघा रेस्पों. के नाम 15 बीघा बेसी रकबा दर्ज है, की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचन न करना दावे के निर्णय में बड़ी तथ्यात्मक भूल है साथ ही ख.न. 116 मिन के नये ख.न. 759/309 का रकबा 8.04 बीघा व 18.10 बीघा कुल 26.14 बीघा दर्शाया है जबकि ख. न. 116 का कुल 24.06 बीघा ही था। यह बैसी रकबा अधी. न्यायालय ने विवेचित नहीं किया यही नहीं मिलान क्षेत्रफल में यह रकबा भी ख.न. 116 मिन के रकबा से बनना दर्शाया है अर्थात ख.न. 116 में शेष रकबा का परीक्षण नहीं हुआ अगर होता तो अपीलांट के नाम दर्ज रकबा हटाने के आदेश नहीं होते, पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सं. 2060 से 2063 के खाता

20/9/17
राजस्व अपील प्राधिक
श्रीगंगानगर (राज.)

व नयश 256 पुराने 263 में अपीलांट (प्रतिवादी) के नाम ख.न. 313 में 3.69 बा. प्रथम ख.न. 313 में 6.134 बा.प्रथम ख.न. 315 में 2.807 कुल किता 3 खसरो में 12.634 भूमि दर्ज है। यही इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी स. 2068 से 2071 नया ख.न. 281 पुराना 268 में दर्ज है जो दिनांक 21.3.2016 द्वारा अपीलार्थी का नाम हटाकर रेस्पो. के नाम दर्ज किये है जो विलोनित योग्य है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.04.2015 निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरणकरण संख्या 1262 दिनांक 21.03.2016 के इन्द्रजात निरस्त कर पूर्व की रेकार्ड की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20/9/17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

20/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

डिक्री व सीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G'-9)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलाल श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी

1. मीरा देवी पत्नी भोमाराम 2. सदूराम 3. गिरधारी 4. मोहनलाल	पि. भोमाराम	जाति मेघवाल निवासी करडू तह. सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट्स

बनाम

1. दान सिंह 2. दर्शन सिंह 3. नक्षत्र सिंह	पि. लाभसिंह	जाति जटसिख निवासीगण 10 क्यू तह. व जिला श्रीगंगानगर।
4. हरपाल कौर पत्नी मोदन सिंह 5. जोगेन्द्र सिंह पुत्र मोदन सिंह		

6. सोहन पुत्र मनीराम जाति स्वामी निवासी करडू तह. सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. मैना देवी पत्नी सोहनलाल जाति स्वामी निवासी करडू तह. सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
8. लूणी देवी पत्नी भोमाराम जाति मेघवाल निवासी करडू तह. सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
9. नोरा देवी पुत्री भोमाराम जाति मेघवाल निवासी करडू तह. सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ।

——रेस्पोंडेंट्स

अपील संख्या 160 सन् 2016 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ निर्णय दिनांक 08.04.2015

20/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 20 माह 09 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री सोमप्रकाश शर्मा अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री भगवानदत शर्मा अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 ता 5 , श्री सुरेन्द्र सुथार अभिभाषक रेस्पों. सं. 6 व 7. एवं श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता समाहत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.04.2015 निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरणकरण संख्या 1262 दिनांक 21.03.2016 के इन्द्राजात निरस्त कर पूर्व की रेकार्ड की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .....X.....) रूपये ..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 20 माह 09 सन् 2017 को जारी किया गया।

सचिव अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

सचिव अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)